न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 07/2022

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1– भंवरलाल पुत्र चौथु
2– बरजी पत्नि भंवरलाल
समस्त कौम गुर्जर गैर खातेदार सर्व निवासीगण ग्राम बरणा तहसील किशनगढ जिला अजमेर

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 अनुपस्थित

–: आदेश :–

दिनांक– 01.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.02.2008 को ग्राम गोरधनपुरा का सिवायचक खसरा नम्बर 45/1 कुल रकबा 62–00–00 बीघा किस्म गै0 मु0 हरडा में से 3–10–00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 408/45 रकबा 3–10–00 बीघा है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के पक्ष में ग्राम गोरधनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 399 दिनांक 13.05.2008 को स्वीकृत होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज किया गया आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई एवं आंवटित भूमि पर गैर खातेदारान/वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा है। भूमि आवंटन वर्ष 2008 जिसके सम्वत 2065 से आज तक लगातार काश्त नहीं होने एवं वर्तमान सम्वत 2076 में आवंटित भूमि पर काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। पटवारी हल्का बरणा/भू अभिलेख निरीक्षक बरणा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2020 के अनुसार मौके पर आवंटित भूमि पर गैर खातेदारो का कभी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही गैर खातेदारों द्वारा भूमि पर कभी काश्त की गई है। अतः अप्रार्थीगण गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से गैर खातेदारी अधिकार निरस्त कर भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज करने एवं भूमि कब्जे राज लेने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
अजमेर

भवदीय

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस बाद तामील अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.02.2008 को ग्राम गोरधनपुरा का सिवायचक खसरा नम्बर 45/1 कुल रकबा 62-00-00 बीघा किस्म गै0 मु0 हरडा में से 3-10-00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 408/45 रकबा 3-10-00 बीघा है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के पक्ष में ग्राम गोरधनपुरा का नामान्तरकरण संख्या 399 दिनांक 13.05.2008 को स्वीकृत होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज किया गया आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई एवं आंवटित भूमि पर गैर खातेदारान/वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा है। भूमि आवंटन वर्ष 2008 जिसके सम्वत 2065 से आज तक लगातार काश्त नहीं होने एवं वर्तमान सम्वत 2076 में आवंटित भूमि पर काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। पटवारी हल्का बरणा/भू अभिलेख निरीक्षक बरणा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2020 के अनुसार मौके पर आवंटित भूमि पर गैर खातेदारो का कभी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही गैर खातेदारों द्वारा भूमि पर कभी काश्त की गई है। अतः अप्रार्थीगण गैर खातेदारान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से गैर खातेदारी अधिकार निरस्त कर भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज करने एवं भूमि कब्जे राज लेने के आदेश प्रदान कर अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी भूमि आवंटन वर्ष 2008 जिसके सम्वत् 2065 से आज तक प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू-भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8-10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम बरणा तहसील किशनगढ़ की जमाबन्दी सं. 2066 से 2069 के अनुसार नियमित भूमि आंवटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटी द्वारा नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार "अतिचारियों को भूमि का आवंटन" के उप नियम 1 के अनुसार भू. संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में आवंटन/नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में आवंटन/नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार "आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो" के तहत् आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की जाने से प्रार्थना पत्र नियम

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
अजमेर

14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम बरणा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 408/45 रकबा 3.10 हैक्टर किस्म गैर0 मु0 हरड़ा भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर